नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज

अभि० आवेदक उपरोक्त (ने) संक्षेप में वाकेयात यह हैं कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक वाद बाबत इस्तकरारहक इन्द्राज दुरुस्ती प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद में माननीय न्यायालय हाजा में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी करने के आदेश पारित किया गया था। माननीय न्यायालय नें दिनांक 17/1/2014 को प्रतिवादी नं. 1 के वारिसान की सम्यक रूप से तामील मानकर एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए वादी अप्रार्थीगण का वाद दि० 12/6/2014 को डिक्री कर दिया गया। प्रतिवादी को कभी भी न्यायालय हाजा द्वारा जारी गया सम्मन प्राप्त नहीं हुआ और न ही प्रतिवादीगण नें कभी सम्मन लेने से मना किया है और न कभी तामील कुनिन्दा नें प्रतिवादी के मकान पर चस्पा किया गया है। तामील कुनीन्दा नें सम्मन पर वह रिपोर्ट अंकित की हैं कि, प्रतिवादी को बिना सूचना वाद तामील ही गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिससे वादी के सम्मन इसके साथ प्राप्त हो चुके है कि तामील कुनीन्दा वादी से मिलकर वादी के कहे अनुसार गलत रिपोर्ट सम्मन पर लिखी सम्मन पर अंकित रिपोर्ट से साफ ~~जाहिर~~ ~~है कि~~ परिलक्षित होती है वादी दावा दायरी के बाद प्रतिवादी की तामील की गयी जिसको फर्जी तामील करवाकर एकतरफा आदेश पारित करवाया जाना। प्रतिवादी नं. 1 के वारिसान पर्याप्त नहीं की गयी न हीं तामील की गयी तथाकथित तामील प्रतिवादी का कानूनन नहीं करवायी गयी है। सम्मन पर की गई रिपोर्ट पर दो व्यक्तियों की तस्दीक में वादी से मिले हुए व्यक्तियों से करवायी गई जिनके सम्मन तामील कुनीन्दा नें कोई चस्पा नहीं किया गया। इसलिए तामील पर्याप्त नहीं होनें के कारण ~~डिक्री~~ एकतरफा ... प्रतिवादी नं. 1 के वारिसान (प्रार्थीगण) को सुनवाई का अवसर दिया जावे। वादी नें उक्त एकतरफा डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी-प्रार्थीगण को दिनांक ... 2016 को धमकी दी कि मैनें न्यायालय हाजा से एकतरफा डिक्री व आदेश प्राप्त कर लिया है अब तुम

2/17/5/19 को
अर्थी
12
... सम्मन चाहा
... पेश हो आवेदन
हेतु सम्मन
... पूर्व में
अप्रार्थी नं. 1
वास्ते बहस
हेतु समय
13/11/19
वास्ते आदेश

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज
	देने पर दिनांक 10.7.2016 को हुई इसलिए जानकारी की दिनांक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अवधि को न्यायहित में कन्डोन फरमाया जावे अलग से प्रा०पत्र धारा 5 अवधि विधान अधिनियम के प्रा०पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 CPC पेश कर निवेदन है कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश व डिक्री दि० 12/6/2011 को निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करें। नकल आदेशिकाएं, डिक्री, सम्मन पेश किये।
	प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। अप्रार्थी नं. 2, 3, 5 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं तो कार्यवाही एकतरफा की जाती है। अप्रार्थी नं. 1 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया जिस पर अप्रार्थी नं. 1 का जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी नं. 4 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की इस्तदुआ गलत है। अस्वीकार है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित डिक्री को कतई निरस्त नहीं किया जा सकता। न्यायालय हाजा द्वारा जारी किये गये नोटिस पर कानूनी प्रावधानों के तहत सम्यक रूप से तामिल होकर प्रार्थी न्यायालय हाजा में उपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही कानूनी रूप से की गई है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित डिक्री को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र काफी देरीना है। व प्रार्थी पर्याप्त हेतुक के बिना नियत तारीख पर उपसंजात होने बाबत भी प्रार्थना पत्र में तथ्य अंकित नहीं किये गये हैं। प्रार्थी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी व उपसंजात होने के लिए पर्याप्त अवसर था इसलिए सम्मन की अनियमितता के आधार पर डिक्री को कतई निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिए न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना [illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
न किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा जारी किये गये सम्मनों पर कानूनी प्रावधानों के तहत सम्यक रूप से तामील होकर न्यायालय में वापस लौटे है। ~~दिनांक~~ प्रतिवादी नं. 1 बजरंगा के फौत होने पर दि० 6/9/2011 को प्रार्थना पत्र कायम मुकाम अन्तर्गत O.22 R.4 CPC पेश हुआ है। दिनांक 22/2/12 को प्रार्थना पत्र स्वीकार होकर संशोधित टाईटल पेश होकर तलबी प्रतिवादी नं. 1 बजरंगा के कायम मुकाम हेतु आगामी तिथि तय हुई है। प्रतिवादी नं. 1 बजरंगा के वारिसान (कायम मुकाम) प्रतिवादीगण-वादीगण के सम्मन कायम मुकाम न्यायालय हाजा से दिनांक 26/8/2013 को जरिये डिस्पेच संख्या 3218-22 जारी हुए हैं, जिन पर सभी पर सम्यक रूप से तामील हुई है। बाद तामील वापस लौटकर शामिल मिसल हुए है। अर्थात प्रतिवादीगण-वादीगण को सूचना (जानकारी) होने के बाद भी जानबूझकर न्यायालय में हाजिर नहीं आये हैं जिस पर उनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा दिनांक 17/1/2014 को अमल में लाई गयी है। उसके बाद नियमानुसार दि० 8/1/2014 को अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया गया है। जाहिर है कि प्रार्थीगण-प्रतिवादीगण बावजूद प्रोपर सूचना के जानबूझकर अनुपस्थित रहे है। उसके बाद पूरे ढाई साल का समय गुजर जाने के बाद दिनांक 21.7.2016 को हस्तगत आवेदन पेश किया है जिसमें इतनी देरी (2½ वर्ष) के बाबत कोई सन्तोषजनक कारण बताए बिना ही आवेदन पेश किया है जो महज न्यायालय का अमूल्य समय जाया किये जाने हेतु गलत तथ्य अंकित कर पेश किया जाना जाहिर है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की पद नं. 9 में दि० 10.7.2016 को जानकारी होना बताया है। इस बाबत किन्ही स्वतंत्र व्यक्तियों के शपथ पत्र पेश नहीं किये हैं तथा	16

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म व में जारी
	जुबानी हुई है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सारहीन व तथ्यहीन है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 CPC संधारणीय नहीं होने के फलस्वरूप खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 18.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह (टोंक) (डॉ [illegible] नेगी) RAS उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह	